

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राजपूत
निवासी फालना तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/637
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15/10/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कागडी स्थित भूमि खसरा न0 259/79, कुल रकबा 5.4994 हैक्टर किस्म नहरी दायम लगान 71.49 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, धणी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विशनोई, आर.ए.एस.

वादीगण
पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति राजपूत
निवासी फालना तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/637
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा न0 259/79, कुल रकबा 5.4994 हैक्टर किस्म नहरी दायम लगान 71.49 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, धणी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।



(दिनेश विशनोई)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 20/09/2025 01:52:23 PM


जिला : पाली



तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : खुडाला

पटवारी हल्का : घणी

ग्राम : कागडी



 स. क. ग. स. ह.
 म. र. त. र. म.
प. व. र. म.

खसरा संख्या : 259/79 क्षेत्रफल : 5.4994 Hectare खाता संख्या : 156पुराना खाता संख्या : 42

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नहरी दोंयम [5.4994, 71.49]

- 1.) पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह हिस्सा- 3200/27497 जाति- राजपूत शक्ति नगर फालना स्टे तहसील बाली जिला पाली खातेदार
- 2.) भरत कुमार पुत्र कानाराम हिस्सा- 717/27497 जाति- घांची मकान संख्या- NA, कॉलोनी- बाली , क्षेत्र/स्थान- बाली , शहर- बाली , पिन कोड- 306701, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार
- 3.) मुकेश कुमार पुत्र रताराम हिस्सा- 1946/27497 जाति- घांची सा. बाली खातेदार
- 4.) मोहनलाल पुत्र पनाजी हिस्सा- 21634/27497 जाति- प्रजापत सा. बेड़ा खातेदार

पटवारी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

S. K. G. S. H.

नोट :- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क पटवारी (भू.अ.) घणी

पटवारी (भू.अ.) घणी

S. K. G. S. H.

मोहनलाल

M. R. T. M.

पटवारी